

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


भोपाल, दिनांक 14-6-10

क्रमांक/शि.क./ए/50/2010/508

// संशोधित आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/संवि/50/2010/ 410-11 दिनांक 03.06.2010 द्वारा श्रीमती अलका रौंदवाल अध्यापक शास.उ.मा.वि.भानपुरा जिला मन्दसौर को नगर पंचायत भानपुरा तथा जिला पंचायत रतलाम द्वारा दी गई अनापत्ति के आधार पर शा.हाईस्कूल लुनेरा के लिये संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी ।

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र एवं जिला पंचायत रतलाम द्वारा क्रमांक 4486 दिनांक 11.6.10 द्वारा पुनः जारी की गई अनापत्ति पत्र के आधार पर संचालनालय द्वारा जारी उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये शा. हाईस्कूल लुनेरा के स्थान पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांगरौद पढ़ा जावे । आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी ।


उप संचालक


लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 14-6-10

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./ए/50/2010/509

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला मन्दसौर/रतलाम मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मन्दसौर/रतलाम मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मन्दसौर/रतलाम मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत भानपुरा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संबंधित - श्रीमती अलका रौंदवाल अध्यापक शास.उ.मा.वि.भानपुरा जिला मन्दसौर की ओर सूचनार्थ ।


उप संचालक

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश